क्रम संख्या—199

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 2 मई, 1994

वैशाख 12, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 814 / सत्रह-वि-1-1(क)24-1994

लखनऊ, 2 मई, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1994)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23; सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में शब्द और अंक "दिनांक 1 जून, 1991 से 15 अगस्त, 1991 तक की अवधि के लिए पैंतालीस हजार रुपये प्रति वर्ष से अनधिक मूल्य के और दिनांक 16 अगस्त, 1991 से चौवन हजार रुपये प्रति वर्ष से अनधिक" के स्थान पर, शब्द "पैंसठ हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 15 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित कर दिया जायेगा, और--

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में-

(एक) शब्द "पचासी रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (पांच-ख ख) और खण्ड (पांच-ग) निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्-

"(2) प्रत्येक सदस्य उन दिनों के लिए भी जिनमें वह जनसेवा के कार्यों के लिए दौरा करें और जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन भत्ता या आनुषंगिक व्यय अनुनन्य न हो या न हो सकता हो, एक सौ रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन सदस्य और नेता विरोधी दल को उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा, सिवाय उन दिनों के जिनके लिए वह उपधारा (1) के अधीन दैनिक भत्ता का दावा करे।"

धारा 24 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण-दो में, शब्द और अंक "वर्ष 1980 में" के स्थान पर शब्द और अंक "वर्ष 1980 में या वर्ष 1985 में" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

No. 814(2)/XVII-V-1—1(KA)24-1994

Dated Lucknow, May 2, 1994

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 30, 1994.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1994

(U. P. ACT NO. 16 OF 1994)

[*As passed by the U. P. Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1994.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the words and figures "not exceeding forty-five thousand rupees per annum for the period from June 1, 1991 to August 15, 1991 and not exceeding fifty-four thousand rupees per annum from August 16, 1991" the words "not exceeding sixty-five thousand rupees per annum" shall be *substituted*. Amendment of section 5 of U.P. Act no. 23 of 1980

3. Section 15 of the principal Act, shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and— Amendment section 15

(*a*) in sub-section (1) as so re-numbered,—

(*i*) *for* the words "eighty-five rupees" the words "one hundred fifty rupees" shall be *substituted* ;

(*ii*) clause (V-bb) and clause (V-c) shall be *omitted* ;

(*b*) *after* sub-section (1) the following sub-sections shall be *inserted*, namely—

"(2) Every member shall be entitled to daily allowance at the rate of one hundred rupees per day for the days during which he tours for the works in the service of the public and for which the allowance or incidental charges under sub-section (1) are not, or may not be, admissible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), daily allowance at the rate of one hundred rupees per day shall be payable to a member holding any office referred to in clause (i) of section 2 and the Leader of Opposition for each day during the whole of the term in which he holds such office, except such days for which he claims daily allowance under sub-section (1)."

4. In section 24 of the principal Act, in sub-section (1), in the *Explanation-II for* the words and figures "in the year 1980" the words and figures "in the year 1980 or in the year 1985" shall be *substituted*. Amendment of section 24

By order,

N. K. NARANG,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 41 सा० विधा०—(319)—1994—850 (मेक०)